न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपीलसंख्याः 30/2023
जीसीएमएस संख्याः 2023/146

निर्णय दिनांकः 11-02-26

1. सत्यनारायण पुत्र श्री जगमालराम जाति ब्रहामण निवासी कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1 रामकुमार
2. ओमप्रकाश
3. देवीलाल
4. दुर्गा

पिसरान शिशपाल जाति ब्रहामण निवासी कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

5. नन्दलाल पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति ब्रहामण निवासी कालू तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, लूणकरणसर जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर
दिनांक 16—01—2023

उपस्थितः—

1. श्री अजय ओझा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4
3. श्री बसंत व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5
4. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर के आदेश दिनांक 16—01—2023 जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया गया के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके रोही कालू तहसील लूणकरणसर के खसरा नम्बर 1469 तादादी 6.8900 हैक्टेयर में स्थित है। रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4 एवं रेस्पोडेंट सं. 5 के द्वारा मिलीभक्ति करते हुए माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251–ए के तहत बअनवान रामकुमार आदि बनाम् सत्यनारायण आदि पेश कर बाला–बाला तौर पर रास्ता कायम करवाने बाबत् सारी कार्यवाही अमल में लाई गई है। रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4 के द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 5 के खेत में से होकर अपनी भूमि पर जाने के तथ्य अंकित किये गये है तथा रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4 कालू से किसनासर को जाने वाले कटाणी मार्ग से होकर अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 5 की कृषि भूमि की दक्षिणी सींव से होकर अपने खेत तक जाते थे उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग लम्बे समय से करते चले आ रहे है जिसे मौके पर अपीलांट द्वारा बंद कर दिया गया है, के तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये हैं जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के ताबे माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। धारा–251–ए आर.टी. एक्ट के प्रावधानों के तहत नया रास्ता कायम किये जाने के प्रावधान है, ना कि पूर्व में चले आ रहे मार्ग को राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने तथा ना ही बंद रास्ते को खुलवाये जाने के प्रावधान उक्त धारा में एवं नियमों में भी नहीं है जिससे साफ जाहिर होता है कि रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन द्वारा बाधित था जो कि विधि विरूद्ध होने से चलने योग्य नहीं था जिसे माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा खारिज किया जाना चाहिए था लेकिन माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपील आदेश दिनांक 16.01.2023 पारित कर भारी कानूनी भूल कारित की है जैर अपील आदेश दिनांक 16.01.2023 खिलाफ कानून होने से काबिले खारिज योग्य है खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस अपीलांट को प्रेषित होना बताया गया है जो कि अपीलांट को प्राप्त हो गया है, के बावजूद भी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है, के तथ्यों का अपनी आदेशिका दिनांक 11.03.2022 में अंकित करते हुए अपीलांट के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश फरमाये गये है अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कभी – भी अपीलांट पर तामिल नहीं करवाई गई ना ही किसी प्रकार की सूचना अपीलांट को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड डाक की रसीद के आधार पर अपीलांट के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कहीं पर भी ए.डी. लोटकर आई हो या उस पर अपीलांट के हस्ताक्षर अ.नि. हो, का अंकन नहीं है, ना ही रेस्पोडेंट सं. 1 के द्वारा कोई ऐसी कानूनन सम्मत दस्तावेज पेश करना जिससे यह ज्ञात हो जावे कि अपीलांट पर विधिवत् रूप से तामिल हो चुकी थी, का ऐसा कोई दस्तावेज माननीय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। अपीलांट पर कभी भी नोटिस तामिल नहीं करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम में तामिल अपीलांट पर माने जाने के पर्याप्त कारण उपलब्ध नहीं है जबकि किसी प्रकार की डिलीवरी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मात्र डाक रसीद पेश करने से किसी पर तामिल नहीं मानी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों पर बिना गौर फरमाये ही रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4 को फायदा देने की गरज से एक पक्षीय आदेश दिनांक 16.01.2023 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संबंध में टी.डी.आर, लूणकरनसर से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 11.03.2022 को जारी किये गये जिस पर तहसीलदार (राजस्व) लूणकरनसर के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक विजेन्द्र कुमार वृत कालू से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 06.01.2023 को संलग्न करते हुए अपने पत्र क्रमांक तलू / राजस्व / 2022 / 1420 दिनांक 09.01.2023 के क्रम सं. 1 में वर्णन करते हुए रिपोर्ट माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। जो कि रेस्पोडेंट्स सं. 1 ता 4 द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के खिलाफ होने के बावजूद माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त कानून के प्रावधानों के खिलाफ जाकर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4 द्वारा अपने खेत खसरा सं. 1466 तादादी 8. 0400 हैक्टेयर पर आने–जाने के लिये गांव की ओर से आ रहे कच्चे रास्ते का उपयोग उपभोग किया जाता रहा है। रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4 गांव की तरफ जा रहे रास्ते से खसरा नम्बर 1475, 1474 से होकर अपने खसरा सं. 1466 पर आते जाते रहे हैं तथा उक्त मार्ग का ही उपयोग, उपभोग किया जाता रहा है। अपीलांट को तंग व परेशान करने की गरज से ही धारा–251–क का प्रार्थना पत्र माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड़ अधिकारी, लूणकरणसर दिनांक 16–01–2023 निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किये कि अपीलांट दिनांक 13.03.2023 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि की देखभाल कर रहा था तभी रेस्पोडेंट सं. 1 ता 4 मौके पर आये तथा अपीलांट को कहा कि दक्षिणी सींव की तरफ से हमारे खेत तक जाने के लिये रास्ता हमने न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिया है इसलिये तुम दक्षिणी सींव की तरफ की भूमि से अपनी तारबंदी हटा लो जिस पर अपीलांट ने रेस्पोडेंट्स को कहा कि मुझे तो कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है ना ही कभी कोई न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुआ है, तुम लोगों ने न्यायालय से आदेश कब प्राप्त कर लिया है, मुझे जानकारी नहीं है तो रेस्पोडेंट्स ने कहा कि न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार जी एवं उनके कर्मचारी मौके पर आकर रास्ता कायम करेंगे तो पता चल जायेगा, यह सुनते ही मानो अपीलांट के पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई हो, अपीलांट को विश्वास ही नहीं हो रहा था, अपीलांट बिना किसी विलम्ब के माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जैर अपील आदेश पत्रावली की चाराजोही की गई तथा जैर अपील आदेश पत्रावली की प्रमाणित नकल हेतु नकल आवेदन पत्र दिनांक 13.03.2023 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर बाद तैयार नकल दिनांक 20.03.2023 को प्राप्त हुई जिससे प्रथम बार अपीलांट को जैर अपील आदेश की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलांट को जैर अपील आदेश की कभी कोई जानकारी नहीं रही है, जानकारी प्राप्त होने पर बिना किसी विलम्ब के अपील में लगने वाले खर्चे की व्यवस्था कर अपील माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जानबूझकर देरी करने का दोषी अपीलांट नहीं रहा है, बल्कि अहम मजबूरी रही है न्यायहित व लोक हित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 1469 व 1470 मे से रास्ता कई वर्षो सं उपयोग व उपभोग में चला आ रहा है। चलायमान रास्ते को स्वीकृत करने हेतु धारा 251 क में किसी प्रकार की मनाही नही है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के पास अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है इसलिए रेस्पोडेन्ट को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता साबित है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से मौका की जॉच करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity&convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में जो कारण दर्शित किये है वे संतोषजनक नही है। अपीलांट को सामान्य प्रासेस एवं रजिस्टर्ड डाक के जरिये नोटिस जारी किये गये थे। उक्त दोनो नोटिस की तामील होने के बाद भी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ। अपीलांट स्वच्छ हाथो से नही आया है। इसलिए अपीलांट का मियाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर सम्पूर्ण अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम मियांद प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना है। अपीलांट्स का कथन है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 13–03–2023 को प्राप्त हुई उसके पश्चात प्रतिलिपी प्राप्त कर जानकारी की प्रथम दिनांक से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत की है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये है वो संतोषजनक नही है। अपीलांट को सामान्य प्रासेस एवं रजिस्टर्ड डाक के जरिये नोटिस जारी किये गये थे। उक्त दोनो नोटिस की तामील होने के बाद भी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ। अपीलांट स्वच्छ हाथो से नही आया है। इसलिए अपीलांट का मियाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर सम्पूर्ण अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जावे। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–01–2023 को पारित किया गया है एवं अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील दिनांक 17–04–2023 को प्रस्तुत की गई है। ऐसे में विधि का भी सिद्धान्त है कि जहां अपील प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब नहीं हो तथा वहां पर पक्षकारों के मध्य गुणावगुण पर निर्णय किया जाना श्रेयस्कर है। अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दुरगुजर करते हुए अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए का अवलोकन किया गया।

धारा 251 ए के अनुसारः– Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that **(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may,** be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, **through the shortest or nearest route,** or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet.

रास्ते संबंधी प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है:–

ए– रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।

बी– वैकल्पिक रास्ते का अभाव।

सी– उपलब्ध विकल्पों में से निकटतम रास्ता।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

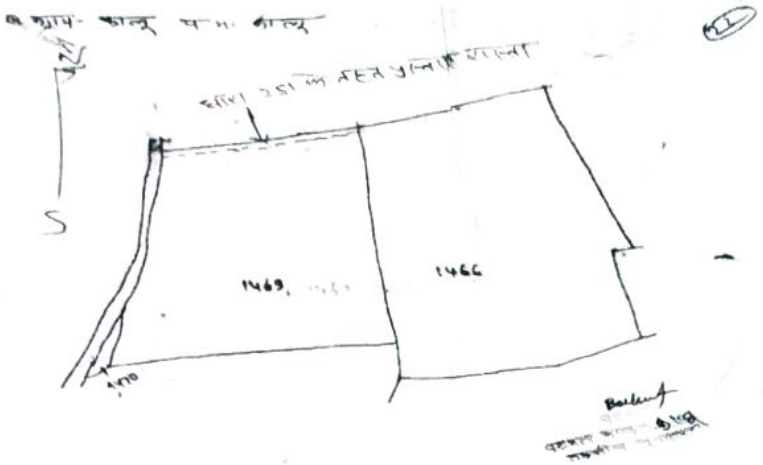

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1466 में आने जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता चालू नही है। इसलिए रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1466 पर जाने हेतु दो विकल्प उपलब्ध थे। पहला विकल्प खसरा संख्या 1469 व 1470 की दक्षिणी सींव से तथा दूसरा विकल्प खसरा संख्या 1469 के उतरी सींव से।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से पहले विकल्प के मुताबिक खसरा संख्या 1469 व 1470 की दक्षिणी सींव से रास्ता स्वीकृत किया। उक्त रास्ता दो खातेदारो की भूमि से होकर गुजरता है तथा अपेक्षाकृत अधिक लंबाई का है। वही दूसरी और अगर खसरा नंबर 1469 की उतर दिशा से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उसकी दूरी भी कम है और वह केवल एक ही खातेदार के खसरे मे से होकर गुजरता है। मौका रिपोर्ट में यह द्वितीय विकल्प प्रस्तावित किया गया है।

इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय को उपलब्ध उत्तम विकल्प पर विनिश्चय किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट पर प्रस्तावित निकटतम रास्ता अपीलाधीन आदेश द्वारा मंजूर नही किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट खसरा संख्या 1469 की दक्षिणी सींव से आवागमन करते रहे हो। मौका रिपोर्ट में भी इस तथ्य का उल्लेख है कि खसरा संख्या 1469 के दक्षिण सींव पर चालू रास्ते के निशान नही मिले है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह साबित हो कि यह रास्ता पहले चलायमान हो और इसे कभी बंद किया गया हो तथा रास्ता बंद करने पर उनके द्वारा तहसीलदार के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया हो।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट भी अस्पष्ट एवं अधूरी है। मौका रिपोर्ट में रास्ते के विकल्प, उनकी तुलनात्मक लंबाई, पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा आवागमन किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट टिप्पणी नही की गई है। जो कि न्यायालय को रास्ते के सर्वोत्तम विकल्प विनिश्चित करने में सहायक हो। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में खसरा संख्या 1469 की उतरी सींव पर रेत का टिल्ला होना अभिकथित किया है परन्तु उनके द्वारा इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। मौक रिपोर्ट में भी इस तथ्य का उल्लेख नही है।

7. इस स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे। इस बिन्दू की जॉच की जावे कि क्या खसरा संख्या 1469 व 1470 की दक्षिणी सींव पर कदीमी रास्ता था अथवा नही? क्या खसरा संख्या 1469 की उतरी सींव पर विशाल रेत का टिल्ला है जहॉ आवागमन असंभव हो? इन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए मौका रिपोर्ट के आधार पर सर्वोत्तम विकल्पो का चयन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तब तक वर्तमान में चलायमान रास्ते को किसी भी पक्ष द्वारा बंद न किया जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 11-02-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर